

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे- आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉरवर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
 एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
 जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित हैं। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल हैं। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए हैं।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फॉर्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 29 राज्यों से संबंधित हैं।

2015-16 से जीडीपी डाटा 28 फरवरी 2018 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम से संबंधित है।

जीडीपी के लिए 2016-17 (आरई) और 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 से लिए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित हैं।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते हैं।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

—: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा (<https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।